जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 04.11.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 1034/2024 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बंधित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल (छुरी) सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 03.11.2024 को वादिया श्रीमती रिहाना पत्नी नौशाद निवासी ग्राम पैदा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि वादिया की बहन इसराना पत्नी निजामुद्दीन निवासी बुल्ला का चौराहा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर, जोकि अपने पति से अलग देहरादून में रहती है, चुँकि वादिया की बहन का अपने पति निजामुद्दीन से मनमुटाव व मुकदमेबाजी चल रही है । दिनांक 02.11.2024 को निजामुद्दीन ने वादिया की बहन एवं वादिया को अपने घर बुला लिया था । दिनांक 03.11.2024 की प्रातः करीब 04.00 बजे निजामुद्दीन ने वादिया की बहन इसराना की सोते समय छुरी से वार कर हत्या कर दी तथा इसके बाद स्वयं भी किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 1034/24 धारा 103(1) बीएनएस बनाम निजामुद्दीन उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 04.11.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त निजामुद्दीन पुत्र शाहबुद्दीन निवासी मौहल्ला बुल्ला का चौराहा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल (छुरी) को पूर्व में ही बरामद किया जा चुका है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त निजामुद्दीन ने पूछताछ पर बताया कि उसकी पत्नी से कुछ सालों से विवाद चल रहा था। विवाद के चलते इस साल की शुरुआत में ही इसराना अपने मायके चली गयी थी। दिनांक 26.01.2024 को मैने गुस्से में आकर उसके मायके में जाकर उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया था। इस सम्बंध में इसराना ने मेरे खिलाफ थाना नजीबाबाद पर मुकदमा लिखवा दिया था, जिसमें मुझे जेल भी जाना पडा था । यह

मुकदमा अब भी कोर्ट में चल रहा है जिसमें मुझे बार बार तारीख पर जाना पडता है। इस घटना के बाद इसराना मुझसे अलग देहरादून में जाकर रहने लगी थी तथा बच्चों को कभी साथ ले जाती थी तथा कभी घर छोड जाती थी। मै धीरे धीरे इसराना को बहला फुसलाकर उससे फैसले की बात करता था लेकिन इसराना फैसले के लिए मना कर देती थी। इसलिये मैं इसराना से तंग आ गया था और उससे छुटकारा पाना चाहता था।

दिनांक 02.11.2024 को योजनानुसार जब इसराना सो गई तो मैने धीरे से उठकर कमरे की कुण्डी बाहर से बन्द कर दी थी और रसोई में रखी छुरी से वार करके उसकी हत्या कर दी थी। इस बाद मैने स्वयं भी कीटनाशक पदार्थ खा लिया था, जोकि मैने पहले से ही अपने पास एक पुडिया में रख रखा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

निजामुद्दीन पुत्र शाहबुद्दीन निवासी मौहल्ला बुल्ला का चौराहा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल (छुरी), घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहने गये कपडे/चप्पल, खूनालुदा रजाई, खूनालूदा मृतका का दुपट्टा, एक चादर खूनालूदा, कंकरीट आदि एवं घटनास्थल से एकत्र किये गये अन्य साक्ष्य

अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 34/2024 धारा 323/326ए/504/506 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1.प्रभारी निरीक्षक श्री उदय प्रताप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 तेजवीर सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.उ0नि0 संजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

4.कां0 1738 रविन्द्र कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना शिवालाकलां **दिनांक- 04.11.2024**

थाना शिवालाकलां पुलिस ने मु0अ0सं0 136/24 धारा 74 बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट से संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 03.11.2024 को वादिया ने थाना शिवालाकलां पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.मनवीर पुत्र रतिराम व 2.आशीष पुत्र यशराज निवासीगण ग्राम थुरैला थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ छेडछाड की गई, जिन्हे ग्रामीणो द्वारा मौके से पकडकर थाने लाया गया है।

तहरीर के आधार पर थाना शिवालाकलां पर मु0अ0सं0 136/2024 धारा 74 बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दोनो अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.मनवीर पुत्र रतिराम निवासी ग्राम थुरैला थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

2.आशीष पुत्र यशराज निवासी ग्राम थुरैला थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

पुलिस टीम :-

थाना शिवालाकलां पुलिस टीम

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नूरपुर **दिनांक- 04.11.2024**

थाना नूरपुर पुलिस ने जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

थाना नूरपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान जनपद की सीमा मे पाये जाने पर जिलाबदर अभियुक्त आशुतोष पुत्र रामलाल निवासी मौ0 रविदासनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया। इस संबंध मे थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 429/24 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आशुतोष पुत्र रामलाल निवासी मौ0 रविदासनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आशुतोष उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 481/2018 धारा 323/324 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 505/2019 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3. मु0अ0सं0 006/2020 धारा 147/148/427/504/506 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
4. मु0अ0सं0 133/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
5. मु0अ0सं0 305/2020 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
6. मु0अ0सं0 363/2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
7. मु0अ0सं0 328/2022 धारा 323/504/506 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
8. मु0अ0सं0 442/2022 धारा 147/307/323/325/427/504/506 भादवि थाना नूरपुर बिजनौर।
9. मु0अ0सं0 409/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
10. मु0अ0सं0 0014/2024 धारा 147/148/307/323/504/506 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
11. मु0अ0सं0 197/2024 धारा 336/452/504/506 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
12. मु0अ0सं0 429/2024 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा निवारण अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2.का0 1956 आर्यन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3.का0 1346 विजयपाल सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना किरतपुर **दिनांक- 04.11.2024**

थाना किरतपुर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त देव पुत्र सुरेश निवासी गांव छितावर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट (UP20AA-9633) लगी हुई हीरो स्पेलन्डर प्लस मोटरसाइकिल बरामद की गई है। चेक करने पर बरामद मोटरसाइकिल की सही नम्बर प्लेट UP19E-5328 पायी गई। उक्त मोटरसाइकिल चोरी के संबंध मे थाना झिंझाना जनपद शामली पर मु0अ0सं0 387/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत है।

बरामदगी के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 405/2024 धारा 317(2)/317(5)/318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

नोट- उल्लेखनीय है कि अभियुक्त देव उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसने मोटरसाइकिल (बरामद हुई) को 02 वर्ष पहले तहसील ऊन, जनपद शामली से चोरी किया था, जिसे वह चला रहा था। पकडे जाने के डर से उसने मोटरसाइकिल की नम्बर प्लेट बदल दी तथा उसे बेचने की फिराक मे नजीबाबाद की तरफ जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

देव पुत्र सुरेश निवासी गांव छितावर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

चोरी की हीरो स्पेलन्डर मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP19E-5328(फर्जी नम्बर प्लेट UP20AA-9633 लगी हुई) ।

पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
2.हे0का0 364 लालू यादव थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
3.का0 1177 पुनीत त्यागी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा दिनांक – 04.11.2024

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 404/24 धारा 191(2)/191(3)/115(2)118(1)/117(2)/352/351(3)/105 में वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.08.2024 को वादी श्री अनीस अहमद पुत्र कलवा निवासी ग्राम मंगल खेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अब्दुल 2.असलम 3.अशरद 4.शकील उर्फ पप्पू पुत्रगण खलील आदि कुल 06 नफर द्वारा वादी व वादी के भाई नफीस के साथ गाली गलौच करते हुए लाठी डण्डो व धारदार हथियार से मारपीट की, जिससे वादी एवं वादी के भाई के सिर व पैर म काफी गम्भीर चोटे आयी व वादी के भाई नफीस की टाँग टूट गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 404/24 धारा 191(2)/191(3)/115(2)118(1)/117(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम अब्दुल आदि उपरोक्त पंजीकृत किया गया । दिनांक 26.09.2024 को वादी के भाई नफीस की उपचार के दौरान मुत्यु हो जाने के कारण अभियोग मे धारा 105 बीएनएस की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

आज दिनांक 04.11.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिक्षा में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

बाल अपचारी का नाम व पता –

बाल अपचारी

पुलिस अभिरक्षा मे लेने वाली टीम –

1.व0उ0नि0 श्री सुरजीत सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 535 भजनलाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर